

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

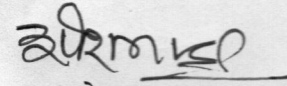
क्रमांक :- एफ .4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न . 10598 / 2262 दिनांक :- 03-12-21

कार्यालय आदेश

सुश्री रिद्धि पण्ड्या [लिंक नं. 10598] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, डूंगरपुर - [1105] जिनकी जन्म तिथि 15/03/1992 है, का दिनांक 15/09/2021 को निधन हो जाने के कारण इन्हें दिनांक 15/09/2021 से राजकीय सेवा से पृथक किया जाता है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प . 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24/03/2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री रिद्धि पण्ड्या के विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।



(भूपेश माथुर)

निदेशक

क्रमांक :- एफ .4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न . 10598 / 2262 दिनांक :- 03-12-21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग , क्षेत्रीय कार्यालय
3. कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, डूंगरपुर को प्रेषित कर लेख है कि यदि स्व. श्री रिद्धि पण्ड्या कनिष्ठ लेखाकार के परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित कों अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।
4. कोषाधिकारी डूंगरपुर
5. श्री दयानंद पण्ड्या , बी-77, शास्त्री कॉलोनी, डूंगरपुर, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि स्व. सुश्री पण्ड्या के परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित कों अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत नियुक्ति लेने का पात्र एवं इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, डूंगरपुर के माध्यम से निर्धारित अवधि में भिजवाने का श्रम करें।
6. निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट / ए सी आर शाखा



(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)